आमुख

इस पुस्तिका का प्रयोजन लोक सभा के सदस्यों का संसदविद के रूप में उनके कार्यों से जुड़े विषयों के बारे में मार्गदर्शन करना है।

2. इस पुस्तिका में दी गई जानकारी विस्तृत नहीं है। इसे प्रमाण रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता, अतः सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रयोजन के लिए संविधान के उपबंधों लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों अथवा अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत दिए गए निदेशों, अध्यक्षपीठ के विनिर्णयों, सुस्थापित परम्पराओं एवं प्रथाओं आदि का उद्धरण दें और केवल उन्हीं पर निर्भर करें। इसके अलावा, सदस्य अध्यक्षपीठ के विनिर्णयों, स्थापित प्रथाओं और पद्धतियों आदि का भी अवलोकन कर सकते हैं, जो संसदीय कार्य के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

3. इस प्रकाशन में विभिन्न स्थानों पर नियमों के संदर्भ, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के संदर्भ हैं।

नई दिल्ली **महासचिव**